न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रताप सिंह राठौड़, आर.जे.एस.
मूल दाण्डिक प्रकरण सं. : 214/2016
सीआईएस नंबर : 300/2016

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
.....अभियोगी

बनाम

रतन सिंह पुत्र रामदयाल निवासी राबचा पीएस नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 332, 353 भा.द.स.

उपस्थित :

(1) राज्य की ओर से–विद्वान अभियोजन अधिकारी।

(2) अभियुक्त की ओर से–विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कोठारी।

:: निर्णय ::

दिनांक 27.03.2026

1– अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी घनश्याम सिंह ने दिनांक 21.01.2016 को थानाधिकारी नाथद्वारा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि, कि आज दिनांक 21.01.2016 को करीब 11.50 एएम की घटना है। मैं भीलवाडा डीपो की रोडवेज बस नंबर आर.जे. 06 पी.ए. 4153 लेकर उदयपुर जा रहा था। राबचा बस स्टैंड पर पहुंचा तो दो मोटरसाइकिलों पर पांच आदमी बैठकर आए व बस के आडे फिर बस को रूका दिया व मेरे साथ मारपीट करने लग गए व मुझे घसीटकर नीचे डाल दिया एवं नकदी 1850/– रूपये लेकर चले गए .....आदि।

2— उक्त लिखित रिपोर्ट पर थाना नाथद्वारा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 41/16, अपराध अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 332, 353 भा.द.स. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त रतन सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 332, 353 भा.द.स. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोपित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3— बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को उन पर आरोपित अपराध की विशिष्टियां पृथक से विरचित कर सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्त ने आरोप सुनसमझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4— साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू—01 मुकेश, पीडब्ल्यू—02 राधेलाल, पीडब्ल्यू—03 राम सिंह, पीडब्ल्यू—04 सज्जन सिंह, पीडब्ल्यू—05 घनश्याम सिंह, पीडब्ल्यू—06 मांगीलाल व पीडब्ल्यू—07 डॉ बीपी जैन को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान गवाह मुकेश प्रदर्श पी. 01, नक्शा मौका प्रदर्श पी.02, नक्शा प्रदर्श पी.03, रिपोर्ट प्रदर्श पी.04, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.05 व तहरीर प्रदर्श पी.06, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.07, ड्यूटी चाई प्रदर्श पी.08 लगायत प्रदर्श पी.10, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.11 व धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी.12 को प्रदर्शित करवाया गया।

5— अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं में लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने स्वयं का निर्दोष होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6— बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णयार्थ न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु है—

(1) क्या अभियुक्त रतन सिंह ने दिनांक 21.01.2016 को समय 11. 50 एएम या इसके लगभग मौजा राबचा बस स्टैंड पर परिवादी घनश्याम सिंह को अपने गंतव्य स्थान पर जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया व

उसके साथ लात मुक्को से मारपीट की जिससे उसके शरीर पर साधारण प्रकार की उपहतियां कारित हुई तथा परिवादी घनश्याम सिंह जो कि उस दिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भीलवाडा की बस संख्या आर.जे. 06 पी.ए. 4153 का चालक होकर लोक सेवक होते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, को अपने कर्तव्य से विरत रहने एवं भयोपरात करने के आश्रय से उसके साथ हाथापाई कर बल एवं हिसां का प्रयोग कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(2) यदि हां तो अभियुक्त किस दंड का भागी होगा?

7— उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में पत्रावली पर आई समग्र साक्ष्य का विश्लेषण व विवेचन करे तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी घ ानश्याम सिंह द्वारा थानाधिकारी पीएस नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 21.01.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी—04 से हुआ है जिसमें परिवादी ने मुख्य रूप से दिनांक 21. 01.2016 को उसके भीलवाडा डिपो की बस नंबर आर.जे. 06 पी.ए. 4153 का परिचालक हो उदयपुर जाने के दौरान राबचा बस स्टैंड पर दो मोटरसाइकिलों पर चार—पांच व्यक्तियों के आकर बस रूकवाकर उसके साथ मारपीट कर 1850/— रूपये छीनकर ले जाने का कथन किया है।

8— परिवादी घनश्याम न्यायालय में गवाह पी.ड.05 के रूप में परीक्षित हुआ है व उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी—04 में वर्णित समस्त तथ्यों की पूर्ण पुष्टि करते हुये दिनांक 21.01.2016 को उसके रोडवेज बस नंबर आर.जे. 06 पी.ए. 4153 का परिचालक हो भीलवाडा से उदयपुर जाने के दौरान राबचा बस स्टैंड पर दो मोटरसाइकिलों पर चांर पांच व्यक्तियों के आकर बस रूकवाकर उसके साथ मारपीट किए जाने के कथन किये हैं। आगे उक्त गवाह ने मारपीट करने में हाजिर अदालत अभियुक्त रतन सिंह के होने की भी पुष्टि की है इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू—06 मांगीलाल जो कि बरवक्त घटना रोडवेज बस का चालक था, ने भी उक्तानुसार ही घटना की पूर्ण पुष्टि की है। इसी अनुक्रम में गवाह पीडब्ल्यू—07 डॉ बीपी जैन ने आहत घनश्याम सिंह के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाए जाने व जिसमें वर्णित चोटें साधारण प्रकृति की होने की पुष्टि की है अन्य गवाह पीडब्ल्यू—03 रामसिंह जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है ने भी उसके सशपथ बयानों में उक्त प्रकरण में विधिनुसार अनुसंधान किए जाने व बाद अनुसंधान अभियुक्त रतन सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध बनना पाये जाने की पूर्णतया ताईद की है। उक्त सभी गवाहान के समग्र बयान

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में भी अखंडित रहे हैं तथा उनके प्रतिपरीक्षण में भी घटना के संबंध में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है जिसके आधार पर उनके बयानों पर अविश्वास किया जा सके या यह माना जा सके कि अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। ऐसे में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त रतन सिंह पर आरोपित अपराध पूर्णतया संदेह से परे साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त रतन सिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 332, 353 भा.द.स. में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

9— परिणामतः अभियुक्त **रतन सिंह पुत्र रामदयाल निवासी राबचा पीएस नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 332, 353 भा.द.स. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुशुदा जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं।

(प्रताप सिंह राठौड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)

सजा के प्रश्न पर :—

10— सजा के बिंदु पर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का किसी प्रकार प्रकरण दर्ज नहीं होकर यह उनका प्रथम अपराध है व जिस संबंध में आज अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पृथक से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में सन् 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा भुगती गई अत्यंत लंबी अन्वीक्षा अवधि को देखते हुये अभियुक्त को आरोपित अपराध में तुरंत दंड से दंडित नहीं किया जाकर उसे सुधारात्मक दण्ड के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

— दण्डादेश —

11— परिणामतः अभियुक्त **रतन सिंह पुत्र रामदयाल निवासी राबचा पीएस नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)** को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 332, 353 भा.द.स. में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उसे तुरन्त दण्ड से दंडित नहीं कर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/— रूपये की राशि के छह माह की अवधि के परिवीक्षा बंध पत्र इन शर्तों के साथ लाकर प्रस्तुत कर देवे की वह उक्त अवधि में शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहुत किए जाने पर दंड भुगतने को उपस्थित होगा तो उसे परीविक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त पर आपराधिक परीविक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 2,000/— रूपये अभियोजन व्यय भी अधिरोपित किया जाता है।

(प्रताप सिंह राठौड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)

12— निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रताप सिंह राठौड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)